

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
वाणिज्य शाखा


कं-अ.वि.वि.नि.लि/ मु. अ. (वा.)/अ.अ.(वा.)/फा /2006/पे. 4274 दिनांक 13.02.07

आदेश

विषय:- कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान स्वीकार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समन्वय समिति ने अपनी 100 वीं बैठक दिनांक 18.01.07 में विचार विमर्श किया। तदानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "कृषि सेवा (एजी/एलटी-4)" के अन्तर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को यदि 24 घंटे बिजली मिल रही है तो विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित "टैरिफ फार सप्लाय आफ इलैक्ट्रिसिटी-2004" के अनुसार बिल जारी किये जाये और बिल की राशि वसूल की जाये।

आज्ञा से,




(पी. एस. जाट)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, झुन्झुनु।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर
7. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम,..... को .....अतिरिक्त प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
8. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
11. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्कॉम,.....
12. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( ), अजमेर डिस्कॉम,.....
13. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।



leena hin

13/2/07  
(एस. डी. आसुदानी)  
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

'अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
वाणिज्य शाखा


क-अ.वि.वि.नि.लि/ मु. अ. (वा.)/अ.अ.(वा.)/फा /2006/पे. 4274 दिनांक 13.02.07

आदेश

विषय:- कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान रबीकार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समन्वय समिति ने अपनी 100 वीं बैठक दिनांक 18.01.07 में विचार विमर्श किया। तदानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि "कृषि सेवा (एजी/एलटी-4)" के अन्तर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को यदि 24 घंटे विजली मिल रही है तो विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित "टैरिफ फार सप्लाय आफ इलैक्ट्रिसिटी-2004" के अनुसार बिल जारी किये जाये और बिल की राशि वसूल की जाये।

आज्ञा से,



(पी. एस. जाट)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, झुन्झुनु।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर
7. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम,..... को .....अतिरिक्त प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
8. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
11. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्कॉम,.....
12. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( ), अजमेर डिस्कॉम,.....
13. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

5 bills of the up-standig  
Engg. (M.S.P) AJMER

13/2/07  
(एस. डी. आसुदानी)  
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

THE VIJYUT VITRAN NIGAM LTD  
AJMER

No: AVV L/F/MSP/Ajm/Sec IF 13.1992 Date 23-2-07

Copy of the above submitted/forwarded to the following for information and necessary action:

- (1) THE XEN (MT) ANNUL, Kislangarh/makdams/sikar
- (2) THE AEN ( ) ANNUL, Ajmer/Beawar

TA to SE (MSP)  
AVVNLtd. Ajmer

9/2